प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 31.10.2025

- **थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही से टप्पेबाजी/चोरी करने वाले 01अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**
- **अभियुक्त के कब्जे से टप्पेबाजी /चोरी किये गये 2,35,000/- रुपये व 01 एण्ड्रायड मोबाइल फोन बरामद ।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 10.10.2025 को वादी जितेन्द्र कुमार शुक्ला ब्रांच मैनेजर एसबीआई सिकन्दरा कानपुर देहात द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया की सिकन्दरा शाखा में चोरी हुये 3,00,000 रुपये के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी। जिसके आधार पर थाना सिकन्दरा पर मु0अ0सं0 166/2025 धारा 305(A) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था। मुकदमें के सफल अनावरण हेतु लगातार अभियुक्त के मिलने के संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। दिनांक 30.10.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर एक नफर अभियुक्त अंशू सांसी (सिसोदिया) पुत्र दिनेश सांसी निवासी ग्राम तलैया थाना मुंगावली जनपद अशोक नगर मध्य प्रदेश को 2,35,000/- रुपये व एक अदद मोबाइल के साथ सूर्या तिराहा थाना क्षेत्र सिकन्दरा से गिरफ्तार किया गया। बरामद किये गये रुपयो में थाना सिकन्दरा पर पंजीकृत अभियोग के 1,75,000/- रुपये व थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर पर चोरी के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 146/2025 धारा 303 बीएनएस के 60,000/- रुपये बरामद किये गये है। बरामदगी के आधार पर थाना सिकन्दरा पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. अंशू सांसी (सिसोदिया) पुत्र दिनेश सांसी उम्र करीब 23 वर्ष निवासी तलैया थाना मुंगावली जनपद अशोक नगर मध्य प्रदेश।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

ने पूछने पर बताया कि साहब 3,00,000/-रूपये दिनांक 10.10.2025 को मैनें तथा मेरे साथीगण 1. कुनाल पुत्र जितेन्द्र सांसी, 2. अब्बो पुत्र विकाश सांसी निवासीगण ग्राम कड़िया थाना बोड़ा जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश, 3. रितेश पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात (राजकुमार पुत्र स्व0 राजपाल नि0 कड़िया थाना बोड़ा जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश के यहां वर्तामान में रहता है) ने मिलकर एसबीआई बैंक सिकन्दरा के बैंक के अन्दर से 3,00,000/- रूपये चोरी कर लिये थे। उपरोक्त घटना मैनें अपने साथियों के साथ मिलकर की गयी थी। इसलिये मैने 1,75,000/- रूपये रखे थे, व 1,25,000/- रूपये अपने साथियों को दे दिया था तथा दिनांक 09.09.2025 को औरंगाबाद कस्बा जहानाबाद जनपद फतेहपुर से एक मोटरसाइकिल में टंगे बैंग से 70,000/- रूपये हम लोगों ने मिलकर निकाल लिये थे। जिसमें से 10,000/- रूपये हम लोगों ने खाना-खर्च में कर दिया है। बाकी यही 60,000/- रूपये है। जो चोरी किया गया था एंवं दिनांक 25.08.2025 को हम लोगों ने तहसील मांट मे एक व्यक्ति के बैग से भी 2,50,000/- रूपये चोरी किये थे, सबने मिलकर आपस में

बांट लिये थे ।, हमारे साथी सूर्या तिराहा ब्रिज के पास मिलने के लिये कहे थे। इसलिये में उन सब का इन्तजार कर रहा था। आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया है हम लोग बैंक या बैकों के आस-पास रैकी कर के मौका देखते ही रूपये चोरी कर लेते है। इसी से हम लोग अपने घर परिवार का भरण-पोषण करते है।

प्रश्न- एसबीआई बैंक सिकन्दरा मे तुम्हारा कौन साथी पैसे उठाने गया था ?

उत्तर- साहब एसबीआई बैंक सिकन्दरा से मेरा साथी अब्बो पुत्र विकास सांसी निवासी ग्राम कड़िया थाना बोड़ा जिला राजगढ मध्य प्रदेश उठाने गया था । जिसके पास एक झोला था । अब्बो उस दिन सफेद रंग की शर्ट एवं मटमैला पेंट पहना था। अब्बो की उम्र करीब 13 वर्ष है। अब्बो पहले खिड़की पर जाकर पैसा कहाँ पर रखा है देखकर आया था । उसके बाद उसने अन्दर जाकर पैसा उठाकर झोले मे डालकर बाहर आ गया था। हम लोग बाहर उसका इन्तजार कर रहे थे। जब वह बाहर आ गया, तो हम उसको साथ लेकर वहाँ से चले गये । दूर जाकर झोले के पैसो को देखा तो 3,00,000/- रुपये उसके अन्दर थे। जिसमें से 1,75,000/- रुपये मैनें अपने पास रख लिये थे व 1,25,000/- रुपये अपने अन्य तीन साथियो को दे दिये थे।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंशू सांसी उपरोक्त

1.मु0अ0सं0 166/25 धारा 305(A)/317(2) बीएनएस थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात ।
2.मु0अ0सं0 146/25 धारा 303 बीएनएस थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर ।

बरामदगी का विवरण-

1. 2,35,000/- रुपये
2. 01 एण्ड्रायड मोबाइल फोन ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना सिकन्दरा पुलिस